इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2012—आषाढ़ 15, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—अधिनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून, 2012

क्र. 2026-मप्रविनिआ-2012.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(2) (जेडडी) सहपठित धारा 61 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 जो कि दिनांक 8 मई 2009 को अधिसूचित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में तृतीय संशोधन

1. **प्रस्तावना.**—जबकि आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 जिसकी नियंत्रण अवधि मार्च 2012 तक है, दिनांक 8 मई 2009 को अधिसूचित किया गया था. इस विनियम

की प्रयोज्यता को विनियम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2009 से संरेखित किये जाने बाबत् इसकी नियंत्रण अवधि का विस्तार माह मार्च, 2013 तक, द्वितीय संशोधन के माध्यम से दिनांक 10 फरवरी 2012 को अधिसूचित किया गया था. जिस समय आयोग द्वारा मप्रविनिआ (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 तथा इसका प्रथम संशोधन जारी किया गया था तो विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अन्तर्गत टैरिफ अवधारण किये जाने हेतु राज्य में 45 मेगावाट, 250 मेगावाट, 600 मेगावाट तथा 660 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित ताप विद्युत् उत्पादक संयंत्र प्रचलन में नहीं थे. अतएव, विनियमों में ऐसे संयंत्रों के संबंध में प्रचलन के मानदण्ड तथा प्रचालन एवं संधारण व्यय विनिर्दिष्ट नहीं किये गये थे. चूंकि वर्तमान में राज्य में इन क्षमताओं के संयंत्र निर्माणाधीन हैं, अतएव विनियमों में 45 मेगावाट क्षमता संयंत्रों के प्रचालन मानदण्ड तथा ऐसी समस्त क्षमताओं के संबंध में भी प्रचालन एवं संधारण व्ययों हेतु इन विनियमों में संशोधन किये जाने आवश्यक हैं.

2. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—2.1 (i) ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 (तृतीय संशोधन)[ए. आर. जी.-26 (I) (iii), वर्ष 2012]" कहलायेंगे.

2.2 इन विनियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा.

2.3 ये विनियम तत्काल प्रभाव से मध्यप्रदेश राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे तथा जब तक आयोग द्वारा इनकी पूर्व में किसी प्रकार की समीक्षा न की जाए अथवा विस्तार न किया जाए, ये विनियम इनके प्रवृत्त होने की तिथि से माह मार्च, 2013 तक लागू रहेंगे.

3. **विनियम 15 में संशोधन.**—"मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009" जिसे एतद् पश्चात् "प्रधान विनियम" कहा गया है, में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, अर्थात् :—

प्रधान विनियमों में विनियम 15.3 के बाद निम्न विनियम जोड़ा, जाएगा, अर्थात् :—

"15.4 जहां इस विनियम के खण्ड 15.1 तथा संशोधित खण्ड 15.2 के अनुसार आयोग के समक्ष किसी विद्यमान अथवा नवीन परियोजना के बारे में टैरिफ अवधारण बाबत् कोई आवेदन दाखिल किया गया हो, आयोग अपने स्वविवेक अनुसार युक्तियुक्त जांच के उपरान्त वार्षिक स्थाई लागत के 95 प्रतिशत तक अनन्तिम टैरिफ स्वीकार कर सकेगा जो इस विनियम के खण्ड 15.3 के उपबंध के अनुसार, अन्तिम टैरिफ आदेश जारी किये जाने के पश्चात्, समायोजन के अध्यधीन होगा :

बशर्ते यह कि विद्यमान अथवा नयी परियोजनाएं, जिस हेतु अनन्तिम टैरिफ की स्वीकृति प्रदान की गई है, के संबंध में क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार की वसूली, जैसा कि वह प्रकरण में लागू हो का प्रावधान इन विनियमों के सुसंबद्ध उपबंधों के अनुसार किया जाएगा."

4. **विनियम 33 में संशोधन.**—प्रधान विनियमों में, विनियम 33.2 (अ) तथा 33.2 (द) के अन्तर्गत निम्न तालिकाएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(अ) मानदण्डीय वार्षिक संयत्र उपलब्धता कारक (Normal Annual Plant Availability Factor)

45 मेगावाट सेट	200/210/250 मेगावाट सेट	300/330/500 मेगावाट सेट	600/660 मेगावाट सेट
85 प्रतिशत	85 प्रतिशत	85 प्रतिशत	85 प्रतिशत

(द) सहायक ऊर्जा खपत (Auxiliary Energy Consumption)

सरल क्रमांक	पावर स्टेशन	मय प्राकृतिक वायु प्रवाहित अथवा शीतलन टावर के
(1)	(2)	(3)
1	200 मेगावाट श्रृंखला	8.5 प्रतिशत
2	500 मेगावाट तथा इससे अधिक	
	वाष्प चालित वाष्प यंत्र पोषित पम्प	6.0 प्रतिशत
	विद्युत् चालित वाष्प यंत्र पोषित पम्प	8.5 प्रतिशत
3	45 मेगावाट	10 प्रतिशत

बशर्ते यह भी कि उत्सर्जित वायु प्रवाहित शीतली कारण टॉवर (induced draft cooling tower) वाले ताप विद्युत् उत्पादक स्टेशनों हेतु मानदण्डों में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी.''

5. **विनियम 34 में संशोधन.**—प्रधान विनियमों में, विनियम 34.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''34.1 विद्यमान ताप विद्युत् स्टेशनों को अनुज्ञेय प्रचालन एवं संधारण व्ययों में सम्मिलित होंगे कर्मचारी लागत (Employee Cost), मरम्मत तथा संधारण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक तथा प्रशासनिक तथा सामान्य (A&G) लागत. विद्यमान ताप विद्युत् स्टेशनों के मानदण्डों में पेन्शन, सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) व कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले वाली प्रोत्साहन राशि, शासन को देय कर, मप्रराविमं व्यय तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क शामिल नहीं होंगे. विद्युत् उत्पादक कम्पनी शासन को देय करों तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क का दावा पृथक् से वास्तविक आंकड़ों के आधार पर करेगी. पेन्शन तथा सेवान्त प्रसुविधाओं के दावे को विनियम 26 के अनुसार संव्यवहारित किया जाएगा.

अ. विद्यमान ताप विद्युत् उत्पादक इकाइयों हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्ड :

रुपये लाख प्रति मेगावाट

यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2009-10	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2012-13
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
62.5	21.42	22.74	24.13	25.61
120	17.84	18.94	20.10	21.33
200/210/250	14.28	15.16	16.09	17.08
500	10.70	11.36	12.05	12.79

ब. दिनांक 31-3-2012 के उपरान्त क्रियाशील किये गये (Commissioned) **नवीन विद्युत् उत्पादक स्टेशनों हेतु प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड :**

रुपये लाख प्रति मेगावाट

यूनिट (मेगावाट में)	वित्तीय वर्ष 2012-13
45	24.00
200/210/250	17.08
600 तथा उससे अधिक	12.00

बशर्ते यह कि अतिरिक्त इकाइयों हेतु उपरोक्त दर्शाये गये मानदण्डों को निम्न कारकों से गुणा किया जाएगा जिनमें उक्त स्टेशन हेतु वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) उन इकाइयों की तत्संबंधी इकाइयों हेतु दिनांक 1-4-2009 को अथवा तत्पश्चात् घटित हो:

200/210/250 मेगावाट	अतिरिक्त पांचवी तथा छठी इकाइयां	0.9
	अतिरिक्त सातवीं तथा और अधिक इकाइयां	0.85
300/330/500 मेगावाट	अतिरिक्त चौथी तथा पांचवी इकाइयां	0.9
	अतिरिक्त छठी तथा और अधिक इकाइयां	0.85
500 मेगावाट तथा इससे अधिक	अतिरिक्त तीसरी तथा चौथी इकाइयां	0.9
	अतिरिक्त पांचवी तथा और अधिक इकाईयां	0.85

No. 2026-MPERC-2012.—In exercise of powers conferred by Section 181 (2) (zd) read with Section 61 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in MPERC (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) (Revision-I) Regulations, 2009 notified on 8th May 2009.

THIRD AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR DETERMINATION OF GENERATION TARIFF) (REVISION-I) REGULATIONS, 2009

1. **Preamble.**—WHEREAS, the Commission had notified MPERC (Terms and conditions for determination of Generation Tariff) Regulations, 2009 on 8th May 2009 for the control period upto March, 2012. The Second amendment to this Regulation was made on 10th February, 2012 to extend the control period upto March, 2013 to align the applicability of these Regulations in line with MPERC (Terms and conditions for determination of tariff for supply and wheeling of electricity and methods and principles for fixation of charges) Regulations, 2009. At the time when exercise on MPERC (Terms and conditions for determination of Generation Tariff) (Revision-I) Regulations, 2009 and its amendments were taken up by the Commission, there were no Coal based Thermal Generating Plants of 45MW, 250MW, 600 MW and 660 MW capacities in the State for which MPERC was to determine tariff under Section 62 of the Electricity Act, 2003. Therefore, the norms of operation and operation & maintenance expenses in respect of such plants were not specified in the Regulations. As there are upcoming plans of these capacities, amendments to the Regulations are required to provide the norms of operation for 45 MW plants and operation & maintenance expenses for all such capacities also.

2. **Short title and commencement.**—2.1 These Regulations shall be called "Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) (Revision-I) Regulations, 2009 (Third Amendment) [ARG-26 (I) (iii) of 2012]".

2.2 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2.3 These Regulations shall come in force from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of Madhya Pradesh and unless reviewed earlier or extended by the Commission, shall remain in force for a period upto March, 2013.

3. **Amendment to Regulations 15.**—In the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of Generation Tariff) (Revision-I) Regulations, 2009, hereinafter called the 'Principal Regulations' the following shall be amended, namely:—

In the Principal Regulations, the following shall be added after Regulation 15.3, namely :—

"15.4 Where application for determination of tariff of an existing or a new project has been filed before the Commission in accordance with clause 15.1 and amended Clause 15.2 of this Regulation, the Commission may consider, at its discretion, to grant provisional tariff upto 95% of the annual fixed cost of the project after prudence check subject to adjustment as per proviso to clause 15.3 of this Regulation after the final tariff order has been issued :

Provided that recovery of capacity charge and energy charge, as the case may be, in respect of the existing or new project for which provisional tariff has been granted shall be made in accordance with the relevant provisions of these Regualtions."

4. **Amendment to Regulation 33.**—In the Principal Regulations, the following shall be substituted under Regulation 33.2 (A) and 33.2 (D) namely :—

"A. Normative Annual Plant Availability Factor (NAPAF)

45MW set	200/210/250 MW set	300/330/500 MW set	600/660 MW set
85%	85%	85%	85%

D. Auxiliary Energy Consumption

S.No.	Power Station	With natural draft cooling tower or without cooling tower
(1)	(2)	(3)
(1)	200 MW series	8.5%
(2)	500 MW & above	
	Steam driven boiler feed pumps	6.0%
	Electrically driven boiler feed	8.5%
(3)	45MW	10%

Provided further that for thermal generating stations with induced drafts cooling towers, the norms shall be further increased by 0.5%".

5. **Amendment to Regulation 34.**—In the Principal Regulations, the Regulation 34.1 shall be substituted as follows namely :—

"34.1. The Operation and Maintenance expenses admissible to Thermal Power Stations comprise of Employee Cost, Repair & Maintenance (R & M) cost and Administrative and General (A &G) cost. The norms for existing Thermal Power Stations shall exclude Pension, Terminal Benefits and Incentive to be paid to employees, taxes payable to the Government, MPSEB expenses and fees payable to MPERC. The Generating Company shall claim the taxes payable to the Government and fees to be paid to MPERC separately as actuals. The claim of pension and Terminal Benefits shall be dealt with as per Regulation 26.

A. O&M Norms for existing Thermal Generating Units.

	Rs. in lakhs/MW			
Units (MW)	FY 09-10	FY 10-11	FY 11-12	FY 12-13
62.5	21.42	22.74	24.13	25.61
120	17.84	18.94	20.10	21.33
200/210/250	14.28	15.16	16.09	17.08
500	10.7	11.36	12.05	12.79

B. O&M Norms for new Thermal Generating Units commissioned after 31st March 2012:

	Rs. in lakhs/MW
Units (MW)	FY 12-13
45	24.00
200/210/250	17.08
600 & above	12.00

Provided that the above norms shall be multiplied by the following factors for additional Units in respective Unit sizes for the Units whose COD occurs on or after 1st April 2009 in the same station:

200/210/250 MW	Additional 5th & 6th Units	0.9
	Additional 7th & more Units	0.85
300/330/350 MW	Additional 4th & 5th Units	0.9
	Additional 6th & more Units	0.85
500 MW and above	Additional 3rd & 4th Units	0.9
	Additional 5th & above Units	0.85

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-6-61-2008-बावन-2.— भोपाल, दिनांक 8 जून 2012

मध्यप्रदेश के प्रजापति समाज के उत्कृष्ट शिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरुस्कार

प्रस्तावना एवं उद्देश्य.—प्रदेश में निवासरत प्रजापति समाज के लोगों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से राज्य शासन, योजनाऐं एवं कार्यक्रम मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड के माध्यम से संचालित कर रहा है. माटीकला क्षेत्र में कार्यरत उत्कृष्ट शिल्पियों को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश के प्रजापति समाज के उत्कृष्ट शिल्पियों को राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पुरुस्कार देने का निर्णय लिया है.

इस पुरुस्कार के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(एक) ये नियम मध्यप्रदेश के प्रजापति समाज के उत्कृष्ट शिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरुस्कार नियम कहलायेंगे.

(दो) ये नियम, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषाऐं.**— (एक) ''प्रजापति समाज'' का आशय मध्यप्रदेश में परम्परागत रूप से कच्चे माल के रूप में माटी का उपयोग कर विभिन्न उपयोगी सामग्री तैयार करने वाली जातियां प्रजापति समाज के अन्तर्गत आएंगी. जिनका जाति प्रमाण-पत्र राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो.

(दो) ''मध्यप्रदेश के निवासियों'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मूल निवासियों को पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाले व्यक्ति जिनका मूल निवास प्रमाण-पत्र राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो.

(तीन) ''चयन समिति'' से अभिप्राय इन नियमों के नियम 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा गठित चयन समिति से है.

(चार) ''शिल्पी'' से यह तात्पर्य है कि प्रजापति समाज का कोई भी व्यक्ति, जो अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के आधार पर, माटी एवं रंगों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हुए, मौलिक कृति का निर्माण करता हो.

(पांच) ''शिल्प'' से तात्पर्य, शिल्पी द्वारा तैयार की गई कृति.

3. **पुरुस्कारों का स्वरूप.**—मध्यप्रदेश के प्रजापति समाज के उत्कृष्ट शिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरुस्कार के रूप में चयन समिति द्वारा चयनित तीन उत्कृष्ट शिल्पियों को नकद राशि का ड्राफ्ट (प्रथम पुरुस्कार एक लाख रुपये, द्वितीय पुरूस्कार पचास हजार रुपये एवं तृतीय पुरुस्कार पच्चीस हजार रुपये) के साथ प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका, शाल, एवं श्रीफल से सम्मानित किया जावेगा.

4. **चयन समिति का गठन.**—राज्य शासन द्वारा आदेश क्र. एफ नं. 6-61-2008-बावन(2) भोपाल दिनांक 11-7-2011 से गठित चयन समिति, जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

(एक)	अध्यक्ष, म. प्र. माटीकला बोर्ड, भोपाल	अध्यक्ष
(दो)	आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्त शिल्प म. प्र.	सदस्य
(तीन)	प्रबंध संचालक, म. प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	सदस्य
(चार)	भारत भवन, मध्यप्रदेश का माटीकला से संबंधित प्रतिनिधि	सदस्य
(पांच)	राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरुस्कार प्राप्त माटीकला शिल्पी	सदस्य
(छः)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. माटीकला बोर्ड	सदस्य सचिव

5. **चयन समिति की शक्तियां.**—(एक) भारत भवन मध्यप्रदेश माटीकला से संबंधित प्रतिनिधि का नामांकन प्रतिवर्ष, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारत भवन द्वारा किया जावेगा तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरुस्कार प्राप्त माटीकला के एक शिल्पी का नामांकन प्रतिवर्ष प्रबंध संचालक, म. प्र. हाथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम मर्यादित भोपाल द्वारा किया जावेगा.

(दो) चयन समिति द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिये बंधनकारी होगा.

(तीन) पुरुस्कार के लिये चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(चार) प्रत्येक पुरुस्कार वित्तीय वर्ष के लिये प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा भी चयन समिति अपने स्वविवेक से ऐसे किसी नाम/नामों पर विचार कर सकेगी जिन्हें पुरुस्कारों के उद्देश्य के अनुरूप पायें.

(पांच) चयन समिति की बैठक का सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा, एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(छः) चयन समिति के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, (ग्रेड ए) के समकक्ष रेल यात्रा/वायुयान यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता तथा लाजिंग प्राप्त करने का भी अधिकार होगा.

(6) **चयन की प्रक्रियाः**—पुरुस्कारों के लिये उपयुक्त प्रजापति समाज के शिल्पियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगीः—

(1) जिस वर्ष के लिये पुरुस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी म. प्र. माटीकला बोर्ड द्वारा अप्रैल माह में प्रमुख प्रादेशिक समाचार-पत्रों/पत्रिका में राज्य शासन (कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मंत्रालय) की ओर से शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में विज्ञापन प्रकाशित कराया जावेगा. प्रविष्टियां प्रस्तुत/प्रेषित करने के लिये कम से कम एक महिने का समय दिया जावेगा. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिये मान्य नहीं की जावेगी परन्तु विज्ञप्ति जारी करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा.

(2) प्रविष्ट प्रजापति समाज के शिल्पियों द्वारा स्वयं अथवा उसकी ओर से उनकी शिल्पकला से सुपरिचित, व्यक्ति अथवा संगठन, राज्य शासन को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु प्रस्तुत करेंगेः—

(क) शिल्पी का पूर्ण परिचय.

(ख) माटीकला शिल्प के उत्थान के लिये उनके द्वारा निर्मित किये गये शिल्पों की विस्तृत जानकारी.

(ग) यदि माटीकला शिल्प से संबंधित कोई अन्य पुरुस्कार मिला हो तो उसका विवरण.

(घ) माटीकला के उत्कृष्ट शिल्प के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रत्येक प्रतिवेदन की एक-एक प्रतिलिपि.

(ङ) माटी कला शिल्प के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र, पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की फोटोप्रतियां/सत्य प्रतिलिपियां.

(च) चयन होने की दशा में पुरुस्कार ग्रहण करने के बारे में संबंधित माटीकला शिल्पी की सहमति.

(छ) प्रविष्टि हेतु प्रस्तुत शिल्प कृति की प्रस्तावना एवं विस्तृत विवरण (नमूना सहित)

(3) (अ) चयन के लिये नियमों में निर्दिष्ट मापदण्डों के अलावा और कोई शर्तें लागू नहीं होगी.

(ब) एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां तीन वर्ष तक विचारणीय होंगी. विचारणीय तीन वर्षों में संबंधित माटीकला शिल्पी के लिये नई प्रविष्टियां देना आवश्यक नहीं होगी. किन्तु उपनियम (1) में प्रविष्टियां प्रस्तुत करने हेतु विहित अवधि में संबंधित शिल्पी या उनके कोई प्रस्तावक यदि पूरक या अतिरिक्त शिल्प विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहे, तो समय सीमा में प्राप्त इस प्रकार की पूरक अथवा अतिरिक्त शिल्प विचारार्थ ग्राह्य होगी.

(स) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित माटीकला शिल्पी की शिल्पकला पुरूस्कार के योग्य नहीं है. निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले ऐसे माटीकला शिल्पी जो तीन वर्षों की विचारणीय अवधि में पुरूस्कार के लिये चयन नहीं हो सके हैं, परवर्ती वर्षों में पुनः प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे.

(4) प्रविष्टि में अन्तर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरूस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा. परन्तु राज्य सासन को अधिकार होगा कि जहां वह आवश्यक समझे अपने सूत्रों से दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों /प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सकेगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित पुरूस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जावेगा:—

पंजीयन क्र.	माटीकला शिल्पी का नाम व पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता	प्राप्त दस्तावेजों के कुल पृष्ठों की संख्या	प्राप्त शिल्प की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(7) पंजीयन के पश्चात् मुख्य कार्यपालन, अधिकारी म. प्र. माटीकला बोर्ड के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में चयन समिति की बैठक के लिये संक्षेपिका अधिकतम 15 दिवस की समयावधि में तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत की जावेगी.

1. माटीकला शिल्पी का नाम तथा पता
2. प्रस्तावना
3. माटीकला शिल्पी का संक्षिप्त परिचय
4. शिल्पकार्य की उपलब्धियां
5. प्राप्त पुरूस्कार/सम्मान
6. प्रमाण-सम्मितियां
7. रचनाएं/प्रकाशन
8. शिल्प का विवरण (यदि कोई हो तो)
9. पुरूस्कार ग्रहण करने बावत् सहमति.

(7) **चयन के मापदण्ड.**—पुरूस्कारों के लिये उत्कृष्ट माटीकला शिल्पियों के चयन हेतु निम्न मापदण्ड रहेंगे:—

1. पुरूस्कारों के लिये चयन समिति द्वारा ऐसे शिल्पियों का चयन किया जावेगा जो मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हो एवं मध्यप्रदेश में परम्परागत रूप से माटीकला में कार्यरत प्रजापत समाज से हों.

2. चयन समिति के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिये उस वर्ष के पुरूस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे जिस वर्ष पुरूस्कार की चयन समिति के वे सदस्य हैं.

3. माटी कला शिल्पी के संबंध में इस पुरूस्कार के अलावा अन्य कोई पुरूस्कार प्राप्त शिल्पी भी मध्यप्रदेश के प्रजापति समाज के उत्कृष्ट शिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरूस्कार के लिये प्रविष्टि भेजने के पात्र होंगे.

4. शासन द्वारा नियुक्त पदाधिकारी, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय वेतनभोगी व्यक्ति इस पुरूस्कार के लिये पात्र नहीं होंगे.

5. शिल्पी मध्यप्रदेश राज्य के अन्तर्गत आने वाली प्रजापति समाज में से होना चाहिये.

6. पुरूस्कार के लिये भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों स्थितियों में शिल्प के कार्यों का आंकलन आवश्यक है, और शिल्प के कार्य में शिल्पी की सक्रियता वर्तमान में भी निरन्तर रहना आवश्यक है.

7. माटीकला शिल्पी को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने माटीकला क्षेत्र में दीर्घकालिक रूप से सक्रिय है तथा वर्तमान में भी इस क्षेत्र में सक्रिय है अर्थात् पुरूस्कार केवल भूतकालिक शिल्प कार्य की उपलब्धियों के आधार पर नहीं मिलेंगे शिल्प के क्षेत्र में परिणाममूलक निरन्तरता आवश्यक है.

8. पुरूस्कार चूंकि माटीकला शिल्पी के उत्कृष्ट योगदान के आधार पर दिया जावेगा. इसलिये शिल्प कार्य में ऐसे व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिये.

9. माटीकला शिल्प के क्षेत्र में माटीकला शिल्पी के योगदान का संबंधित क्षेत्र में व्यापक प्रभाव (गुरू शिष्य परम्परा) परिलक्षित होना चाहिये.

10. परम्परागत तरीकों से अलग हटकर माटीकला के क्षेत्र में नवाचार अर्थात् नई पद्धति को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है. इसका विवरण प्रविष्टि के साथ पृथक् से दिया जाना चाहिये.

11. किसी स्वैच्छिक संस्था से सम्बद्ध माटीकला शिल्पी के उसी कार्य को पुरूस्कार के लिये विचार में लिया जावेगा जिस कार्य से शिल्पी सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और अब भी जुड़े हैं संस्था की समस्त शिल्प उपलब्धियों का शिल्पी के हित में आकलन नहीं होगा.

(8) **पुरूस्कारों की घोषणा :**—चयन समिति द्वारा जिन माटीकला शिल्पियों का चयन होगा उनके बारे में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी. उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य शासन के द्वारा राज्य पुरूस्कार के लिये चयनित माटी कला शिल्पियों के नामों की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

(9) **अलंकरण समारोह :**—पुरूस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण, समारोह शासन द्वारा प्रतिवर्ष 05 जून को म. प्र. माटीकला बोर्ड के गठन दिवस के आयोजन के अवसर पर आयोजित होगा. जिसमें भाग लेने के लिये चयनित उत्कृष्ट शिल्पियों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जावेगा विशेष परिस्थितियों में अपनी सहायता के लिये केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा. प्रजापत समाज के उत्कृष्ट शिल्पी को रेलगाड़ी में शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ग्रेड ए के समकक्ष यात्रा की पात्रता रेल से अथवा वायुयान से होगी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी ए ग्रेड के समान यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

(10) **व्यय की सम्पूर्ति एवं वित्तीय शक्तियां:**—प्रजापत समाज के उत्कृष्ट शिल्पी को राज्य पुरूस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये बजट में हर वर्ष समुचित वित्तीय प्रावधान रखा जावेगा एवं स्वीकृत मद के व्यय पर पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. माटीकला बोर्ड को होंगे. इस हेतु राज्य शासन से औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी.

(11) **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :**—राज्य शासन (कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग) को इन नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्द्धन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की व्याख्या अधिकृत और अन्तिम मानी जावेगी ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, के निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग में वेष्ठित होंगे.

(12) **पुरूस्कारों से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव :**—मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म. प्र. माटीकला बोर्ड, प्रतिवर्ष के पुरूस्कार की प्रविष्टियों, चयनित उत्कृष्ट शिल्पियों आदि का रिकार्ड प्रतिवर्ष के लिये अलग-अलग जिल्द में संधारित करेंगे. चयनित उत्कृष्ट शिल्पी के जीवनचरित्र, शिल्प कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक विवरणिका जारी की जावेगी, जिसमें प्रजापत समाज के उत्कृष्ट शिल्पी पुरूस्कार के उद्देश्य के स्वरूप तथा पुरूस्कार प्राप्त व्यक्ति/व्यक्तियों के अद्यतन विवरण दिये जावेंगे. प्रविष्टि में प्राप्त पुरूस्कृत शिल्प कृतियां मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड की सम्पत्ति होगी जिन्हें बोर्ड में प्रदर्शित करने हेतु संधारित किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुरूषोत्तम शर्मा, अवर सचिव.

सामान्य प्रशासन (कार्मिक) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2012

क्र. बी-1-32-2005-2-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में,—

(एक) नियम 21-ख के उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अन्त: स्थापित किया जाय अर्थात्:—

"21-ग. राज्य प्रशासनिक सेवा की "अधिसमय वेतनमान" में नियुक्ति के लिए पात्रता आदि की शर्तें

(1) राज्य प्रशासनिक सेवा केवल ऐसे अधिकारी, सेवा के अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति के लिए विचारण हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने 22 वर्ष की सेवा तथा "वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान" में, वर्ष की पहली जनवरी को, 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.

(2) प्रशासनिक सेवा के पात्र अधिकारियों को "सेवा के अधिसमय वेतनमान" में नियुक्ति हेतु चयनित होने के लिए, अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा विचार किया जाएगा.

(3) चयन "वरिष्ठता-सह-योग्यता" के आधार पर किया जायेगा.

(2) विद्यमान अनुसूची एक के स्थान पर, निम्नलिखित नई अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्

(नियम 5 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा के लिए स्वीकृत वेतनमान के प्रवर्गों का विवरण	वेतनमान	प्रत्येक वेतनमान में स्वीकृत स्थायी पदों की संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सामान्य प्रशासन (कार्मिक) विभाग	(1) कनिष्ठ वेतनमान	पीबी, 3-15650—39100 ग्रेड पे 5400	350	द्वितीय श्रेणी
	(2) वरिष्ठ वेतनमान	पीबी, 3-15650—39100 ग्रेड पे 6600	189	प्रथम श्रेणी
	(3) प्रवर श्रेणी वेतनमान	पीबी, 3-15650—39100 ग्रेड पे 7600	112	प्रथम श्रेणी
	(4) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान	पीबी, 4-37400—67000 ग्रेड पे 8700	035	प्रथम श्रेणी
	(5) अधिसमय वेतनमान (सुपर टाईम स्केल)	पीबी, 4-37400—67000 ग्रेड पे 8900	14	प्रथम श्रेणी

टीप :—स्वीकृत कुल 700 पदों का विभाजन निम्नानुसार होगा

1. कर्तव्य पद

	(क) जिलों के लिए	399	
	(ख) अन्य विभागों के लिए	201	600
2.	प्रतिनियुक्ति आरक्षित (रिजर्व)	55	
3.	अवकाश आरक्षित (रिजर्व)	14	
4.	प्रशिक्षण आरक्षित (रिजर्व)	31	100
	योग . .	700	

(3) विद्यमान अनुसूची-दो-ख के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

विभाग का नाम	राज्य प्रशासनिक सेवा में स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वेतनमान का नाम तथा वेतनमान जिससे नियुक्ति (क्रमोन्नति) दी जाना है.	वेतनमान का नाम तथा वेतनमान जिस पर नियुक्ति (क्रमोन्नति) दी जाना है.	वेतनमान जिस पर नियुक्त (क्रमोन्नति) दी जाना है, के लिये आवश्यक अर्हकारी सेवा क्रमोन्नति वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में.	वेतनमान जिसमें नियुक्ति (क्रमोन्नति) की जाना है कि लिए नियत प्रतिशत तथा पदों की अधिकतम संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सामान्य प्रशासन (कार्मिक) विभाग	700	कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान पीबी, 3-15650-39100 ग्रेड पे 5400.	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान पीबी, 3-15650-39100 ग्रेड पे 6600.	कनिष्ठ वेतनमान में 6 वर्ष	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 27 प्रतिशत, अर्थात् 189.
		वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान पीबी, 3-15650-39100 ग्रेड पे 6600.	प्रवर श्रेणी वेतनमान पीबी, 3-15650-39100 ग्रेड पे 7600.	वरिष्ठ वेतनमान में 4 वर्ष.	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 16 प्रतिशत, अर्थात् 112.
		प्रवर श्रेणी वेतनमान पीबी, 3-15650-39100 ग्रेड पे 7600.	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान पीबी, 4-37000-67000 ग्रेड पे 8700.	प्रवर श्रेणी वेतनमान 6 वर्ष	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 5 प्रतिशत, अर्थात् 35.
		वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान पीबी, 4-37000-67000 ग्रेड पे 8900.	अधिसमय वेतनमान (सुपर टाईम स्केल) पीबी, 4-37000-67000 ग्रेड पे 8900.	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष	संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों का 2 प्रतिशत, अर्थात् 14.

टीप.—(1) कनिष्ठ/वरिष्ठ/प्रवर/वरिष्ठ प्रवर/अधिसमय वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी.

(2) संवर्ग से बाहर के पद में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये प्रतिनियुक्ति से उद्भूत रिक्तियों की गणना वरिष्ठ श्रेणी, प्रवर श्रेणी, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी एवं अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति (क्रमोन्नति) के लिये की जानी चाहिए, बशर्ते कार्यरत अधिकारियों की संख्या, प्रत्येक वेतनमान में संवर्ग (केडर) पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी.

No. B-1-32-2005-2-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh State Administrative Service (Classification, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1975, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,

(i) after sub rule (3) of rule-21 B the following new rule shall be inserted, namely :—

"21-C Conditions of eligibility etc. for appointment to "Super Time pay Scale" of the State Administrative Service :—

(1) Only such of the officers of the State Administrative Service Shall be eligible for consideration for appointment to the "Super Time pay Scale" of the service who have completed 22 years of service and on the 1st January of the year of selection have completed 6 years of service in the "Senior Selection grade Scale" of the Service.

(2) Eligible officers of the State Administrative Service shall be considered for being selected for appointment to the "Super Time pay Scale" of the service by the committee consisting of the members as specified in Schedule IV.

(ii) for the existing Schedule-I, the following schedule shall be substituted namely :—

SCHEDULE-I

(See rule-5)

Name of the Department (1)	Description of categories of pay scales sanctioned for the service (2)	Scales (3)	No of permanent post sanctioned in each scale (4)	Classification (5)
General	Junior Scale	PB-3, Rs. 15600-39100+5400	350	Class II
Administration	Senior Scale	PB-3, Rs. 15600-39100+6600	189	Class I
(personnel)	Selection Grade	PB-3, Rs. 15600-39100+7600	112	Class I
Department	Senior Selection Grade	PB-4, Rs. 37400-67000+8700	35	Class I
	Super Time Pay Scale	PB-4, Rs. 37400-67000+8900	14	Class I

Note;—Break up of the sanctioned 700 posts shall be as below :—

1.	Duty posts			
	A-	For Districts	399	
	B-	For other Departments	201	600
2.	Deputation reserve		55	
3.	Leave reserve		14	
4.	Training reserve		31	100
		Total :		700

(iii) for the existing Schedule—II B the following new schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE—II—B

(See rule 5)

Name of the Department	Total No. of Posts Sanctioned in SAS	The name of the Pay Scale and the pay scale from which appointment (Kramonnati) is to be given	The name of the Pay Scale and the pay scale to which appoint-ment (Kramo-nnati) is to be given	The requisite qualifying Service for appointment to the pay scale to which appointment (Kramonnati) is to be given on 1st january of the year of (Kramonnati)	Required percentage and maximum No. of post For pay scale in which appointment (Kramonnati) is to be given
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Administration (personnel) Department	700	Junior Pay Scale PB 3, Rs. 15600-39100+5400	Senior Pay Scale PB-3, Rs. 15600-39100+6600	6 Years in the Junior Pay Scale	27 Percent of the total post sanct-ioned in the Cadre, that, is 189.
		Senior Pay Scale PB-3, Rs. 15600-39100+6600	Selection Grade Pay Scale, PB-3, Rs. 15600-39100+7600	4 Years in the Senior Pay Scale	16 Percent of the total post sanctioned in the Cadre, that is 112.
		Selection Grade Pay Scale, PB-3, Rs. 15600-39100+7600	Senior Selection Grade, PB-4, Rs. 37400-67000+8700	6 Years in the Selection Grade Pay Scale	Percent of the total post sanctioned in the Cadre, that is 35.
		Senior Selection Grade, PB-4, Rs. 37400-67000+8700	Super Time Pay Scale PB-4, Rs. 37400-67000+8900	6 Yeas in the Senior Selection Grade Pay Scale	2 Percent of the total post sanctioned in the Cadre that is 14.

Note.—The total number of officers working in Junior, Senior, Selection, Senior Selection Grades and Super Time Scale shall not exceed the total posts sanctioned in the Cadre.

(2) The Vacancies arising due to deputation for period exceeding one year in the ex-cadre post should be taken into account for the appointment in the Senior Grade, Selction Grade, Senior Selection Grade and Super Time Scales, provided that number of the working Officers shall not exceed the number of Cadre posts sanctioned in each scale.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव "कार्मिक".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.